बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

Truth Will Triumph

पत्र संख्या 4

पटना
दिनांक 11-1-2001

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- श्री मनोहर लाल, से० नि० उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग सुपर टाईम-।- में प्रोन्नति देने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित श्री मनोहर लाल, अपर जिला दंडाधिकारी स्तर के पदाधिकारी जो उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार के पद से सेवा निवृत्त हुए हैं, के आवेदन जो आपको सम्बोधित हैं, प्रति मुझे दी गयी है, को मूल में संलग्न किया जाता है । कृपया इसका अवलोकन किया जाय ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके ।

श्री लाल का कहना है कि सुपर टाइम-।- की प्रोन्नति संबंधी बैठक दिनांक-30. 1. 2000 में उनका नाम सुरक्षित रखा गया है आरोप के आधार पर । यह कौन-सा आरोप है यह सेवा निवृत्ति के बाद भी उन्हें सूचित नहीं किया गया है और न किसी भी तरह की कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है । उन्हें कनीय एवं वरीय प्रवर कोटि में नियमित प्रोन्नति मिलती रही है ।

श्री लाल ने अपने आवेदन के साथ अपने दावे के संदर्भ में बिहार सरकार के परिपत्रों के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आर. के. मंडल बनाम राज्य सरकार में दिनांक-18. 12. 96 को दिये गये आदेश एवं माननीय उच्चतम

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू॰ एन॰ सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी॰ एल॰ दास)

Truth Will Triumph

पत्र संख्या.............................

पटना
दिनांक.................................

न्यायालय द्वारा रामानन्द चौधरी बनाम बिहार राज्य सरकार में दिनांक-7अगस्त 92 को दिये गये आदेश की प्रतियाँ भी संलग्न की है जिसे अनु-1 एवं 4 पर देखना चाहेंगे। इन आदेशों के अंश "बी एवं ए" क्रमशः के अवलोकन तथा सरकारी आदेशों के अवलो-कन से स्पष्ट होगा किअगर श्री मनोहर लाल द्वारा अपने विरुद्ध आरोपों से संबंधित कथन सत्य है तो यह उनके दावे के लिये नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि कृपया श्री मनोहर लाल के आवेदन पर नैसर्गिक न्याय हित में शीघ्र निर्णय लिया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(जी. एल. दास)
महासचिव ।

अनु. आवेदन 6(छह)अनु. सहित

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
महासचिव ।

प्रतिलिपि- श्री मनोहर लाल, से. नि. उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

गंगाधर
11.01.2001

महासचिव ।

OC